गया, समाहरणालय, गया

(जिला राजस्व शाखा)

सैरात बन्दोवस्ती की आम सूचना वर्ष 2019–20

सर्व साधारण की सूचित किया जाता है कि गया जिला अंतर्गत विभिन्न हाट/बाजार की बन्दोवस्ती खुली डाक द्वारा सैरात के सामने अंकित तिथि को समाहर्ता के सभा कक्ष में समाहर्ता/अपर समाहर्ता की उपस्थिति में पूर्वाह्न 12.00 बजे की जाएगी। कॉलम–5 में अंकित तिथि खुली डाक की प्रथम तिथि निर्धारित है यदि किसी कारण वश उक्त तिथि को बन्दोवस्ती नहीं की जा सकी तो कॉलम–6 में अंकित दूसरी तिथि को खुली डाक होगी। यदि कॉलम–6 में अंकित तिथि को बन्दोवस्ती नहीं हो सकी तो पुनः कॉलम–7 में अंकित तीसरी तिथि को खुली डाक कराई जाएगी।

क्रम सं0	अंचल का नाम	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	डाक की निर्धारित प्रथम तिथि	डाक की निर्धारित दूसरी तिथि	डाक की निर्धारित तीसरी तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	फतेहपुर	डुमरीचट्टी हाट बाजार	962410.00	28.05.19	29.05.19	30.05.19
2	बेलागंज	बेलागंज हाट बाजार	892081.00	28.05.19	29.05.19	30.05.19
3	बाराचट्टी	साप्ताहिक हाट बाजार सरमा	148757.00	28.05.19	29.05.19	30.05.19
4		साप्ताहिक हाट बाजार गजरागढ़	112355.00	28.05.19	29.05.19	30.05.19
5	इमामगंज	कोठी बस पार्किंग	129605.00	28.05.19	29.05.19	30.05.19
6		गड़ेरिया बस पार्किंग	284395.00	28.05.19	29.05.19	30.05.19
7		रानीगंज हाट बाजार	564190.00	28.05.19	29.05.19	30.05.19
8		हाट बाजार इमामगंज	100050.00	28.05.19	29.05.19	30.05.19
9	बांकेबाजार	बांकेबाजार हाट बाजार	147603.00	28.05.19	29.05.19	30.05.19
10	गुरूआ	गुरूआ राजस्व हाट बाजार	115575.00	28.05.19	29.05.19	30.05.19
11	गुरारू	गुरारू हाट बाजार	138000.00	28.05.19	29.05.19	30.05.19
12	खिजरसराय	खिजरसराय हाट बाजार	155577.00	28.05.19	29.05.19	30.05.19
13	अतरी	टेउसा हाट बाजार	161115.00	28.05.19	29.05.19	30.05.19
14		मौला नगर हाट बाजार	163875.00	28.05.19	29.05.19	30.05.19
15	डुमरिया	मंझौली हाट बाजार	127650.00	28.05.19	29.05.19	30.05.19
16	आमस	आमस हाट बाजार	212750.00	28.05.19	29.05.19	30.05.19
17	नगर	चाकन्द बाजार समिति, गया	107352.00	28.05.19	29.05.19	30.05.19
18	बोधगया	धर्मारणयन वेदी बस पार्किंग	161000.00	28.05.19	29.05.19	30.05.19

डाक की शर्ते

1. डाक आरम्भ होने के पूर्व डाक वक्ता को सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत अग्रधन के रूप में जमा करना होगा।
2. डाक आरम्भ होने के पूर्व डाक वक्ता को वरीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र देना होगा।
3. डाक समाप्ति के पश्चात् सफल डाक वक्ता को डाक की पूर्ण राशि तुरन्त जमा करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जप्त कर ली जाएगी।
4. यदि पूर्व के बन्दोवस्तदार डाक में भाग लेते है तो पूर्व की बकाया राशि रहित प्रमाण पत्र संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त कर डाक के समय समर्पित करना होगा।
5. विहित प्रपत्र में एकरारनामा करने के पश्चात् सैरात टॉल वसूली का अधिकार उच्चतम डाक वक्ता को दिया जाएगा।
6. टॉल की वसूली सरकारी नियमों के अनुकूल एवं निर्धारित दर पर करनी होगी।
7. सैरात बन्दोवस्ती बिना कारण बताए स्थगित/रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
8. स्टाम्प/निबंधन शुल्क अधिनियम की धारा स्टॉम्प शुल्क की अनुसूची-1(क) के अन्तर्गत बन्दोवस्ती की राशि पर 10 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क देना होगा।
9. जो सैरात जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बन्दोवस्त किया जाय।
10. बन्दोवस्ती 2019-20 के लिए की जा रही है।
11. किसी भी प्रकार की वसूली में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न होने पर बन्दोवस्ती की राशि में छूट नही दी जायेगी।
12. इच्छुक व्यक्ति उपर्युक्त शर्तो के अधिन निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते है।

ह०/-
समाहर्ता,
गया।

ज्ञापांक..1281.../रा०, गया, दिनांक.....4...../..5...../2019 ई०।

प्रतिलिपि:- आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अपने स्तर से व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि:- नगर आयुक्त, नगर निगम, गया को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार के कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी, फतेहपुर/बेलागंज/बाराचट्टी/इमामगंज/बांकेबाजार/कोंच/गुरूआ/गुरारू/खिजरसराय/अतरी/डुमरिया/आमस/नगर/बोधगया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अपने स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करेगें एवं उक्त तिथि को नाजीर रसीद के साथ अंचल नाजीर को डाक की राशि प्राप्त करने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाय।

प्रतिलिपिः- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, शेरघाटी/बोधगया/टिकारी को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि वे इसे व्यापक रूप से प्रचार प्रसार अपने स्तर से करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपिः- अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर/टिकारी/शेरघाटी/नीमचक बथानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित किया जाय।

समाहर्ता,
गया।